हुक्म तामील नंबर व तारीख

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र, भारून्दा
पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, R.A.S.

राजस्व वाद सं. 720/2015 (पुराने नं. 120/2002, 56/1995)
दायरा तिथि 11.07.2015 (21.06.2002, 19.04.1995)
निर्णय तिथि 15.06.2016

वादी–
कपूराराम पुत्र वीरारामजी
जाति मारू कुम्हार, निवासी भारून्दा
तहसील सुमेरपुर

बनामः

प्रतिवादीगण–
स्व.वीराराम पुत्र चतराजी के का.मु.–
1–देवाराम पुत्र वीरारामजी
2–छोगाराम पुत्र वीरारामजी
3–रगाराम पत्र वीरारामजी
4–जयंतिलाल पुत्र वीरारामजी
5–श्रीमती गैरी पुत्री वीरारामजी
जातिगण मारू कुम्हार
निवासीगण भारून्दा तह.सुमेरपुर

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 RTAct,1955

–: नि र्ण य :–

निर्णय तिथि 15.06.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र भारून्दा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान मय अधिवक्ता उपस्थित। लोक अदालत की भावना से हमने, पक्षकारान व उनके अधिवक्ताओं की बहस दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादी द्वारा प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व.वीरा पुत्र चतराजी के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत यह वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा भारून्दा, तहसील सुमेरपुर में स्थित हाल सेटलमेंट संवत् 2036 के पूर्व कृषि भूमि गत् खसरा नं. 264/41 रकबा 8)4 बीघा किस्म बारानी अव्वल वादी के पिता वीरका पुत्र नरसाजी की कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि आयी हुई थी जो वादी के पिता की मृत्यु पश्चात् उपरोक्त भूमि नामान्तरकरण सं. 211 के जरिए वादी के नाम दर्ज हुई, जिस पर वादी बहैसियत खातेदार के आज दिन तक काबिज है। हाल सेटलमेंट के बाद उक्त भूमि के नये खसरा नं. 478, 479, 480, 482 रकबा क्रमशः 0.41 हेक्टर, 0.28 हेक्टर, 0.32 हेक्टर, 0.18 हेक्टर कुल रकबा 1.19 हेक्टर किस्म बारानी द्वितीय बने, परन्तु सेटलमेंट विभाग ने उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को बिना कानूनी आधार के प्रतिवादी वीराराम पुत्र चतराजी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी, जबकि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी वीराराम पुत्र चतराजी या उनके कायम मुकाम/वारिसान का आज दिन कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है ना ही इस वादग्रस्त भूमि से कोई लेना–देना है। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी के पिता स्व.वीरका पुत्र नरसाजी का उनके जीवनकाल में व उनकी मृत्यु पश्चात् एकमात्र वादी का ही बतौर स्वामित्व व खातेदार के भौतिक रूप से आज तक शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, वादी अपने परिवार के भरण–पोषण हेतु अहमदाबाद में प्राईवेट नौकरी करता है, परन्तु कृषि के समय वादी उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर एक–फसलीय बुवाई करता रहा है, परन्तु सेटलमेंट की लापरवाही व गलती से उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी वीराराम पुत्र चतराजी के नाम दर्ज कर देने से वादी की अनुपस्थिति में प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि के खसरा न. 479 रकबा 0.28 हेक्टर में अवैध रूप से बेरा खोदना शुरू कर नाजायज कब्जा करने

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

की कोशिश की है। चूंकि उपरोक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि वादी की पैतृक–पुश्तैनी व स्वामित्व कब्जे काश्त की भूमि है, सेटलमेट विभाग की गलती से प्रतिवादी वीराराम पुत्र चतराजी के नाम विधि–विरूद्ध राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई है। इसलिए वादी का यह वाद पत्र स्वीकार एवं डिक्री फरमाकर उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि का वादी को विरूद्ध प्रतिवादीगण के बतौर खातेदार घोषित किया जाकर उक्त कृषि भूमि बाबत वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमावे। वादी ने वादपत्र के साथ दस्तावेज क्रमशः ग्राम भारून्दा की जमाबंदियां संवत् 2028–31 खाता सं. 338 व 343, जमाबंदियां संवत् 2048–51 खाता सं. 128 व 357, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस नये व पुराने की प्रमाणित प्रतियां पेश की है, इसके अलावा वादी की ओर से न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा अपील सं.20/1996 कपूराराम बनामः वीरा में पारित निर्णय दिनांक 31.03.1997 की प्रमाणित छाया प्रति व नजरी नक्शे पेश किए है।

(2) कि कथित वादपत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रतिवादी वीरा पुत्र चतरा ने अपने जवाब में वाद तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया कि ग्राम भारून्दा में स्थित प्रतिवादी की कब्जा सुदा खातेदारी कृषि भूमि गत् खसरा नं.264/37 रकबा 29)10 बीघा किस्म बारानी दोयम जिसमें से रकबा 6)10 बीघा भूमि टेकिया, गलीया पि. मोती को बैचान कर दी थी, शेष भूमि 23) बीघा का ही वादग्रस्त कृषि भूमि भू–भाग होने से सेटलमेंट विभाग ने प्रतिवादी के नाम खातेदारी दर्ज की व इस वादग्रस्त कृषि भूमि पर गत् 30 वर्षो से अधिक समय से वादी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, बल्कि प्रतिवादी का ही एकमात्र पुश्तैनी कब्जा काश्त चला आ रहा है, इसलिए वादग्रस्त भूमि प्रतिकूल कब्जा सिद्धान्त के आधार पर भी कानूनन प्रतिवादी की खातेदारी हो चुकी है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी के कब्जे काश्त के अभाव में वाद हैतुक नहीं बनने से वादी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के प्रथम दृष्ट्या चलने योग्य व परिपोषणीय नहीं होने से इसे विशेष हर्जाना वादी से प्रतिवादी को दिलाये जाने हेतु आदेश के साथ ही खारिज फरमावे। प्रतिवादी ने जवाबदावा के साथ दस्तावेज क्रमशः पासबुक, खतौनी संवत् 2024–27, 2028–31, गत् नक्शा ट्रेस, मिलान क्षेत्रफल, खसरा पत्रक, खतौनी मिसल संवत् 2037–56, खतौनी संवत् 2948–51 इत्यादि की छाया प्रतियां पेश की है।

(3) कि पत्रावली पर विवाद्यक बिन्दु सं.01 लगाय 05 कायम किए गये। शहादत वादी–पक्ष में एकमात्र वादी कपूराराम के बयान PW-1 कलमबद्ध करवाये गये जिसे रेकर्ड पर लिया गो। शहादत प्रतिवादी–पक्ष में प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी कोई साक्ष्य–गवाह हाजिर नहीं करने से यह अवसर समाप्त किया गया। तद्परान्त यह पत्रावली काफी लम्बित अवधि से बहस हेतु विचारार्थ रहते इस आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प में लोक अदालत की भावना से पक्षकारों को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से हमने, उभयपक्षकारों की बहस को सुना व मनन/विचारण किया, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य–रेकर्ड इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया। फलतः कायमी विवाद्यक बिन्दुओं पर हमारा विश्लेषण, विवेचन व निष्कर्ष निम्न प्रकार है–

विवाद्यक बिन्दु सं. 01– आया सरहद मौजा भारून्दा के पूर्व खसरा नं. 264/41 रकबा 8)4 बीघा भूमि वादी की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि थी जिसके हाल खसरा नं. 478, 479, 480, 482 कुल रकबा 1.19 हेक्टर है?.....(वादी)

उक्त विवाद्यक बिन्दु तथ्यों को साबित कराने का दायित्व वादी का होने से वादी ने अपने कलमबद्ध कराये गये बयान PW-1 में वादपत्र में उल्लेखित तमाम अभिव्यक्त कथनों व तथ्यों को मय साक्ष्य दस्तावेज क्रमशः ग्राम भारून्दा की जमाबंदी संवत् 2028–31 खाता सं. 338 प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत् 2048–51 खाता सं. 357 प्रदर्श–2,

लगातार–3

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नक्शा ट्रेस पुराना प्रदर्श–4, नक्शा ट्रेस नया प्रदर्श–5, जमाबंदी संवत् 2048–51 खाता सं.343 प्रदर्श–6 व जमाबंदी संवत् 2048–51 खाता सं. 128 प्रदर्श–7 के आधार पर बखुबी साबित करवाया है, साथ ही प्रश्नगत् बिन्दु के संदर्भित ही माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा भी निर्णित अपील सं.20/1996 कपूराराम बनामः वीरा में पारित निर्णय दिनांक 31.03.1997 के तहत वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नं. 478, 479, 480, 482 पर अपीलांट अर्थात वादी का कब्जा काश्त होना प्रथम दृष्ट्या माना है व प्राईमाफेसाई केस एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांट–प्रार्थी के पक्ष में माना है। इसके अलावा प्रश्नगत् मामले में पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी भारून्दा मार्फत नायब तहसीलदार सुमेरपुर के अनुसार मौतबिरान चौपाराम पुत्र दौलाराम व जीवाराम पुत्र कानाराम कौम मारू कुम्हार निवासीगण भारून्दा की उपस्थिति में की गई मौका सर्वे जांच रिपोर्ट दिनांक 19.06.2014 से जाहिर है कि हाल खसरा नं. 478, 479, 480, 482 कुल रकबा 1.19 हेक्टर भूमि पर वादी कपूराराम पुत्र वीराजी का पुश्तैनी कब्जा काश्त है व प्रतिवादी वीरा पुत्र चतरा का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, प्रतिवादी वीरा पुत्र चतरा के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि हाल खसरा नं. 455, 1129, 1130 अलग से स्थित है परन्तु उक्त भूमि के साथ–2 हाल खसरा नं. 478, 479, 480, 482 प्रतिवादी वीरा पुत्र चतरा के नाम से दर्ज हो गई है, जबकि हाल खसरा नं. 478, 479, 480, 482 की भूमि पर वादी कपूराराम पुत्र वीराजी का ही पुराना कब्जा काश्त है।

इस प्रकार उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के आधार पर हमारी विधिक राय अनुसार कथित विवाद्यक बिन्दु तथ्यों को वादी ने अपने पक्ष में बखुबी साबित करवाया है और इस आधारित उक्त विवाद्यक बिन्दु बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित किया जाना उचित समझते है। अतः निष्कर्ष फलस्वरूप यह विवाद्यक बिन्दु बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक बिन्दु सं. 02– आया हाल खसरा नं. 455, 457, 480, 479, 478, 482 रकबा क्रमशः 2.35 हेक्टर, 1.05 हेक्टर, 0.32 हेक्टर, 0.28 हेक्टर, 0.41 हेक्टर, 0.18 हेक्टर कुल रकबा 4.59 हेक्टर कृषि भूमि पुराने खसरा नं. 264/37 रकबा 29)10 बीघा से बने है?.....(प्रतिवादी)

इस विवाद्यक बिन्दु तथ्यों को साबित कराने का दायित्व प्रतिवादी का रहने से प्रतिवादी ने केवलमात्र अपने जवाबदावे में ही तथाकथित कथनों को अभिव्यक्त किया है, इसके समर्थन में पर्याप्त अवसर के बावजूद भी प्रतिवादी ने ऐसा कोई प्रामाणिक व स्वतंत्र साक्ष्य–गवाह प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर तथाकथित विवाद्यक बिन्दु तथ्यों की पुष्ठि हो सके। जैसा कि नक्शा ट्रेस पुराना प्रदर्श–4, नक्शा ट्रेस नया प्रदर्श–5 की मौका स्थिति अनुसार अध्ययन व विचारण किया जाए तो हाल खसरा नं. 480, 479, 478, 482 गत् खसरा नं. 264/41 से ही बने है व जमाबंदी संवत् 2028–31 प्रदर्श–1 के अनुसार गत् खसरा नं. 264/41 रकबा 8)4 बीघा भूमि वादी की पुश्तैनी खातेदारी भूमि रही है अर्थात वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नं. 480, 479, 478, 482 रकबा 1.19 हेक्टर वादी के कब्जे काश्त की पुश्तैनी खातेदारी भूमि होना साबित होता है, जैसा कि विवाद्यक बिन्दु सं.01 के निष्कर्ष में भी किए गये विश्लेषण विवेचन तथ्यों से स्थिति सुस्पष्ट जाहिर होती है। इसके अलावा यह सही है कि नक्शा ट्रेस पुराना प्रदर्श–4, नक्शा ट्रेस नया प्रदर्श–5 की मौका स्थिति अनुसार हाल खसरा नं. 455, 457 गत् खसरा नं. 264/37 से बने है जो पूर्व में प्रतिवादीगण की पुश्तैनी कब्जे काश्त की खातेदारी रही है। इस प्रकार उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के आधार पर उक्त विवाद्यक बिन्दु तथ्यों को साबित कराने में प्रतिवादी नाकाम रहा है और हमारे विविध विचारों में उक्त विवाद्यक बिन्दु प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित किया जाना उचित नहीं समझते है। फलस्वरूप निष्कर्ष के बतौर पर यह विवाद्यक बिन्दु बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित किया जाता है।

लगातार–4

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

विवाद्यक बिन्दु सं. 03– आया वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पिछले 30 वर्षो से अधिक समय से शांति पूर्वक चल रहा है जिस कारण प्रतिवादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर इस भूमि के खातेदार हो गये है?..... (प्रतिवादी)

इस विवाद्यक बिन्दु तथ्यों को साबित कराने का दायित्व भी प्रतिवादीगण का रहने से प्रतिवादीगण ने एकमात्र अपने जवाबदावे में ही तथाकथित कथनों को अभिव्यक्त किया है, इसके समर्थन में पर्याप्त अवसर के बावजूद भी ऐसा कोई प्रामाणिक साक्ष्य या स्वतंत्र साक्ष्य–गवाह प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर तथाकथित विवाद्यक बिन्दु तथ्यों को पृष्ठांकित किया जा सके। जबकि वादी की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये तमाम साक्ष्य दस्तावेजों व पटवारी भारून्दा द्वारा मौतबिरान चौपाराम पुत्र दौलाराम व जीवाराम पुत्र कानाराम कौम मारू कुम्हार निवासीगण भारून्दा की उपस्थिति में की गई मौका सर्वे जांच रिपोर्ट दिनांक 19.06. 2014 के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 478, 479, 480, 482 कुल रकबा 1.19 हेक्टर पर वादी कपूराराम पुत्र वीराजी का ही पुश्तैनी कब्जा काश्त होना साबित होता है, प्रतिवादी वीरा पुत्र चतरा का उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। कथित मौका सर्वे रिपोर्ट से यह भी जाहिर है कि प्रतिवादी वीरा पुत्र चतरा के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि हाल खसरा नं. 455, 1129, 1130 अलग से स्थित है परन्तु सेटलमेंट विभाग की गलती से ही उक्त भूमि के साथ–2 वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 478, 479, 480, 482 प्रतिवादी वीरा पुत्र चतरा के नाम से दर्ज हो गई है, जबकि हाल खसरा नं. 478, 479, 480, 482 की भूमि पर वादी कपूराराम पुत्र वीराजी का ही एकमात्र पुश्तैनी कब्जा काश्त चला आ रहा है अर्थात वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण का पिछले 30 वर्षो से अधिक समय से किसी भी आधारित कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा ना ही प्रतिवादीगण ने तथाकथित कथन को प्रामाणिक साक्ष्य–सबूत के आधार पर पृष्ठांकित या साबित करवाया है। चूंकि उल्लेखित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 478, 479, 480, 482 जो वादी की पुश्तैनी कब्जे काश्त की खातेदारी रहते हुए सेटलमेंट विभाग द्वारा गलती से प्रतिवादी वीरा पुत्र चतरा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिये जाने के मात्र से प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत किसी प्रकार से खातेदारी प्राप्त करने का कानूनन हकदार नहीं बनता है। इसलिए उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के आधारित हमारे विविध विचारों में उक्त विवाद्यक बिन्दु प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाना उचित नहीं समझते है। फलस्वरूप निष्कर्ष के बतौर पर यह विवाद्यक बिन्दु बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक बिन्दु सं. 04– आया वादी सरहद मौजा भारून्दा के हाल खसरा नं. 478, 479, 480, 482 कुल रकबा 1.19 हेक्टर के खातेदारी अधिकार व स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी है?.....(वादी)

चूंकि उक्त विवाद्यक बिन्दु तथ्यों को साबित कराने का दायित्व वादी का होने से वादी द्वारा इस पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये तमाम प्रामाणिक साक्ष्य दस्तावेजों व साक्ष्य गवाह के आधारित उल्लेखित विवाद्यक बिन्दु सं. 01 लगाय 03 में वर्णित तथ्यों के बारे में किए गये विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के तहत निष्कर्ष के बतौर उक्त तीनों विवाद्यक बिन्दु बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित किए जा चुके है, जिसके

फलस्वरूप हमारी विधिक राय है कि उक्त विवाद्यक बिन्दु के अन्तर्निहित वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में वादी ही एकमात्र खातेदारी अधिकार पाने का कानूनन हकदार बनता है, इसके साथ ही वादी अपनी घोषित होने वाली उल्लेखित खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण या उनके कोई भी प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी या

लगातार–5

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा भी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्राप्त करने का कानूनन हकदार बनता है। अतः निष्कर्ष के बतौर पर यह विवाद्यक बिन्दु बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक बिन्दु सं. 05– सहायता ?

चूंकि, उपरोक्त विवाद्यक बिन्दु सं. 01 लगाय 04 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित किए जा चुके है, अतः फलस्वरूप वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में तमाम प्रकार की सहायता भी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त करने का विधिक हकदार बनता है। इसलिए यह विवाद्यक बिन्दु भी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित किया जाता है।

अतः उल्लेखित विवाद्यक बिन्दुओं के बारे में विश्लेषण, विवेचित तथ्यों व निष्कर्ष के परिणामतः वादी का कथित वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर सरहद मौजा भारून्दा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 478 रकबा 0.41 हेक्टर, खसरा नं. 479 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नं. 480 रकबा 0.32 हेक्टर व खसरा नं. 482 रकबा 0.18 हेक्टर कुल रकबा 1.19 हेक्टर किस्म बारानी द्वितीय जो हाल सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी वीरा पुत्र चतरा कौम मारू कुम्हार के नाम विधि–विरूद्ध व गलती से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई है, का नाम विलोपित करते हुए उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का वादी को बतौर खातेदार घोषित किया जाता है, साथ ही वादी की उपरोक्त घोषित सुदा खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण या उनके कोई भी प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के जारी की जाती है। तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का भारून्दा उक्त निर्णय/डिक्री के अनुरूप राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे। माफिक निर्णय, डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 15.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र भारून्दा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner